सहकारिता : 'पैक्स' का तकनीकी सशक्तीकरण

धर्मेश गढ़वी

ग्रामीण भारत में ज़मीनी-स्तर की वित्तीय संस्थाओं के काम करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (PACS), जो पहले कागज़ी अभिलेखों और मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भर थीं, अब एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से परिवर्तित हो रही हैं। यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पारदर्शिता बढ़ाने, सेवाओं की आपूर्ति को तेज़ करने और ग्रामीण-स्तर पर वित्तीय अनुशासन को मज़बूत करने में भी सहायक है।

जैसे-जैसे *'पैक्स'* डिजिटल रूप से सक्षम, बहु-सेवा संस्थानों के रूप में विकसित हो रही हैं, वे ग्रामीण शासन और वित्तीय समावेशन के केंद्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित कर रही हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से संस्थाओं और समुदायों के बीच लंबे समय से मौजूद अंतर को भी कम किया जा रहा है।

आज भारत में 100 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपभोक्ता हैं और मोबाइल कनेक्टिविटी दूर-दराज़ के गाँवों तक भी पहुँच चुकी है। एक ऐसे देश में, जहाँ जनसंख्या का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, वहाँ गाँवों का समग्र विकास ही राष्ट्रीय प्रगति की आधारशिला है।

इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार तथा ग्रामीण संस्थाओं के व्यापक रूपांतरण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। परिणामस्वरूप, डिजिटलीकरण सुशासन का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है जो ग्रामीण भारत में कार्यक्षमता, पारदर्शिता और पहुँच को बेहतर बना रहा है।

ग्रामीण शासन का डिजिटल रूपांतरण

हाल के वर्षों में, भारत ने ग्रामीण शासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय डिजिटल परिवर्तन का अनुभव किया है। ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों, उचित मूल्य की दुकानों और अन्य स्थानीय संस्थाओं जैसी इकाइयाँ इस बदलाव की प्रमुख प्रेरक बन रही हैं। भारत सरकार ने पिछले एक दशक में सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण और शासन को सुदृढ़ करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं।

प्रमुख कार्यक्रम जैसे *eGramSwaraj* पोर्टल, *SVAMITVA* योजना, *भारतनेट* और *मेरी पंचायत* ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल

लेखक गुजरात में सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार हैं। ईमेलः dvgadhvi69@gmail.com

शासन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, गुजरात में *e-Gram* परियोजना जैसी राज्य-स्तरीय पहल ने ग्रामीण-स्तर पर सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार किया है।

इन पहलों ने ग्रामीण सेवाओं के वितरण के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। आज अनेक सार्वजनिक सेवाएँ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध हैं, जिससे सेवा वितरण की गति और दक्षता दोनों में सुधार हुआ है। डिजिटलीकरण ने ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी सुदृढ़ किया है।

पहले सार्वजनिक सेवाएँ अक्सर देरी, खराब अभिलेख प्रबंधन और सीमित पारदर्शिता जैसी समस्याओं से प्रभावित रहती थीं। अब डिजिटल प्रणालियों के लागू होने के साथ, भूमि अभिलेख, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन, आधार-आधारित प्रमाणीकरण और उचित मूल्य की दुकानों का संचालन अधिक कुशलता से किया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के डिजिटलीकरण के साथ-साथ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ने फर्जी राशन कार्ड और नकली लाभार्थियों जैसी समस्याओं को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे वास्तविक पात्र लोगों तक लाभों की पहुँच अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित हो रही है।

डिजिटल परिवर्तन अब धीरे-धीरे सहकारी संस्थाओं तक भी फैल रहा है, जैसे सहकारी बैंक, डेयरी सहकारी समितियाँ और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (PACS), जो तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना रही हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के सहयोग से, गुजरात में कई *'पैक्स'* और डेयरी सहकारी समितियों को 'सहकारिता के बीच सहयोग' (Cooperation among Cooperatives) नामक पायलट परियोजना के तहत माइक्रो-एटीएम से सुसज्जित किया गया है।

यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुँच और घर-घर बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने में सहायक है। इन माइक्रो-एटीएम के माध्यम से *'पैक्स'* और डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य अपने ही गाँव में आसानी से नकद निकासी कर सकते हैं तथा अन्य मूलभूत बैंकिंग लेन-देन भी सुविधाजनक रूप से कर सकते हैं।

इसी प्रकार संस्थागत सुधार की भावना के तहत, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) का कंप्यूटरीकरण भारत सरकार द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। *'पैक्स'* में डिजिटल प्रणालियों को लागू करके सरकार का उद्देश्य किसानों को दी जाने वाली सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और गति में सुधार करना है। यह सुधार सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ ग्रामीण सेवा वितरण की समग्र व्यवस्था को भी मजबूत करने की क्षमता रखता है।

किसान-अनुकूल वित्तीय संस्था के रूप में *'पैक्स'*

भारत में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये किसानों की अल्पकालिक और मध्यम अवधि की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती हैं।

कुल संस्थागत कृषि ऋण का लगभग 14 प्रतिशत प्रवाह *'पैक्स'* के माध्यम से होता है, जो ग्रामीण वित्त में उनकी महत्ता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों के तहत पंजीकृत, *'पैक्स'* लोकतांत्रिक और सदस्य-आधारित संस्थाएँ हैं, जिनका संचालन किसान सदस्यों और ग्रामीण कारीगरों द्वारा किया जाता है।

तीन-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना के अंतर्गत कार्य करते हुए, ये समितियाँ फसल ऋण, कृषि से संबंधित अन्य ऋण तथा बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे आवश्यक कृषि इनपुट ग्रामीण-स्तर पर उपलब्ध कराती हैं। कई ग्रामीण परिवारों के लिए, *'पैक्स'* आज भी सबसे सुलभ और विश्वसनीय औपचारिक वित्तीय संस्था बनी हुई हैं।

'पैक्स' किसानों की, किसानों द्वारा और किसानों के लिए स्थापित संस्थाएँ हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी निकटता और स्थानीय पहचान में निहित है। *'पैक्स'* के माध्यम से ऋण वितरण अपेक्षाकृत सरल प्रक्रियाओं और न्यूनतम कागजी कार्यवाही के साथ होता है, जिससे ये संस्थाएँ अत्यंत किसान-अनुकूल बनती हैं।

प्रबंधन समिति का चुनाव स्वयं सदस्य किसान करते हैं और कर्मचारी भी प्रायः उसी गाँव या आसपास के क्षेत्रों से होते हैं। यह सामाजिक निकटता विश्वास और भरोसा पैदा करती है, जिससे किसान बिना किसी झिझक के *'पैक्स'* से जुड़ पाते हैं।

दूर स्थित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में, *'पैक्स'* अधिक सुलभ और लगभग घर के पास ही वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं, जो समय-संवेदनशील कृषि कार्यों के दौरान महत्वपूर्ण होती हैं। ये सभी विकास ग्रामीण भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने में डिजिटल शासन के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हैं।

'पैक्स' कंप्यूटरीकरण परियोजना

वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के साथ, भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। इनमें से वर्ष 2023 में शुरू की गई *'पैक्स'* कंप्यूटरीकरण परियोजना एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभर कर सामने आई है।

परम्परागत रूप से, *'पैक्स'* मैनुअल अभिलेख-प्रबंधन और कागज़-आधारित लेखा प्रणालियों पर निर्भर थे। तकनीक के सीमित उपयोग के कारण अक्सर देरी, अक्षमताएँ और वित्तीय अनियमितताओं की स्थितियाँ उत्पन्न होती थीं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने *'पैक्स'* के आधुनिकीकरण हेतु

डिजिटल समायोजन के माध्यम से एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की।

इस परियोजना का लक्ष्य पाँच वर्षों (2022–23 से 2026–27) की अवधि में देशभर की लगभग 63,000 पात्र *'पैक्स'* को कवर करना है। इसके तहत कंप्यूटर, मल्टीफंक्शन डिवाइस, बायोमेट्रिक स्कैनर, पासबुक प्रिंटर और पॉवर बैकअप सिस्टम जैसी आवश्यक हार्डवेयर सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, एक व्यापक ERP-आधारित सॉफ्टवेयर समाधान भी लागू किया गया है, जो *'पैक्स'* को नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों और ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों से जोड़ता है।

यह प्रणाली *'पैक्स'* को सदस्यता प्रबंधन, जमा और ऋण संचालन, खरीद, भंडारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन, संपत्ति तथा मानव संसाधन प्रबंधन जैसे विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बनाती है। साथ ही, इसमें RuPay और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का समावेशन, साइबर सुरक्षा और डेटा संग्रहण (स्टोरेज) जैसी उन्नत सुविधाएँ भी शामिल हैं, जिससे *'पैक्स'* की कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और दक्ष बनती है।

'पैक्स' कंप्यूटरीकरण परियोजना के उद्देश्य

तकनीक के उपयोग से आगे बढ़ते हुए, यह परियोजना *'पैक्स'* की कार्यात्मक क्षमता में परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखती है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:

- *'पैक्स'* स्तर पर परिचालन दक्षता और वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना
- सहकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करना
- देशभर में लेखांकन और व्यावसायिक प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना
- *'पैक्स'* को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और संबंधित सरकारी विभागों के साथ डिजिटल रूप से एकीकृत करना
- DBT से जुड़े लाभों सहित सटीक और समयबद्ध ऋण वितरण सुनिश्चित करना
- *'पैक्स'* को अंतिम छोर (लास्ट-माइल) बैंकिंग सेवा प्रदाता के रूप में सक्षम बनाना
- *'पैक्स'* द्वारा संचालित संस्थानों में डिजिटल और नकद रहित लेन-देन को बढ़ावा देना।

ग्रामीण ऋण पर प्रभाव

'पैक्स' का कम्प्यूटरीकरण ऋण प्रसंस्करण प्रक्रिया को उल्लेखनीय रूप से तेज़ करने की उम्मीद है। ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ ऑनलाइन एकीकरण से प्रक्रियागत देरी कम होगी और ऋण योजना में सुधार आएगा। ब्याज और किश्तों की स्वचालित गणना त्रुटियों को कम करेगी और अनावश्यक मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करेगी। सदस्यों के डिजिटाइज्ड अभिलेख, भूमि स्वामित्व के डेटा और ऋण इतिहास अधिक सटीक ऋण मूल्यांकन तथा समय पर वितरण को संभव बनाएंगे। इससे ऋण वितरण को कृषि कैलेंडर के साथ अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण वित्त में पारदर्शिता और विश्वास को सुदृढ़ करना

'पैक्स' के कम्प्यूटरीकरण का एक प्रमुख परिणाम एक समान राष्ट्रीय लेखा प्लेटफॉर्म का निर्माण है। ERP प्रणाली भूमि और सदस्य डेटा को एकीकृत करके दोहरे या फर्जी ऋण जैसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद करती है।

डिजिटलीकरण से ब्याज की सटीक गणना, सुरक्षित डेटा संग्रहण और रियल-टाइम लेन-देन की निगरानी संभव होती है। ERP-आधारित ऑडिट और मानकीकृत रिपोर्टिंग प्रणाली खातों और शेष राशि से जुड़े विवादों को कम करने में सहायक होती हैं।

जैसे-जैसे पारदर्शिता बढ़ती है, सहकारी संस्थाओं के प्रति किसानों का विश्वास भी बढ़ने की संभावना है। इससे सहकारिता की भावना और अधिक सुदृढ़ होगी तथा ग्रामीण वित्तीय प्रणाली में भरोसा मज़बूत होगा।

नई सहकारी-आधारित पहलों को समर्थन

ऋण सेवाओं से आगे बढ़ते हुए, सरकार ने *'पैक्स'* को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), किसान समृद्धि केंद्र और उचित मूल्य की दुकानों जैसे नए सेवा क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये पहलें न केवल गाँवों में सेवा वितरण को

बेहतर बनाती हैं, बल्कि स्थानीय-स्तर पर रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न करती हैं।

डिजिटल प्रणालियाँ इन गतिविधियों की दक्षता, पारदर्शिता और विस्तार क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे *'पैक्स'* बहु-सेवा प्रदान करने वाली ग्रामीण संस्थाओं के रूप में विकसित हो रही हैं।

'पैक्स' की कार्यप्रणाली में सुधार

डिजिटलीकरण सहकारी शासन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे सदस्यता प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो जाती है, अभिलेख रियल-टाइम में अपडेट होते हैं और निर्णय विश्वसनीय डेटा के आधार पर किया जा सकता है। पारदर्शी कार्यप्रणाली प्रबंधन समितियों और कर्मचारियों की जवाबदेही को भी बढ़ाती है।

ज़मीनी-स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में *'पैक्स'* सहकारिता के मूल्यों और सहभागी शासन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उनका डिजिटल रूपांतरण समावेशी विकास को बढ़ावा देता है और ग्रामीण संस्थागत क्षमता को और गहरा बनाता है।

'पैक्स' कम्प्यूटरीकरण और *'डिजिटल इंडिया'* का विज़न

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देना है। *'पैक्स'* का कंप्यूटरीकरण इस दृष्टिकोण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह डिजिटल अवसंरचना को ग्रामीण स्तर तक विस्तार देता है।

63,000 से अधिक *'पैक्स'* के डिजिटलीकरण के माध्यम से यह पहल प्रभावी रूप से *डिजिटल इंडिया* अभियान को किसानों के द्वार तक पहुँचाती है। मुख्य लाभार्थी के रूप में किसानों को ऋण, सेवाओं और जानकारी तक बेहतर पहुँच मिलती है, जिससे ग्रामीण आजीविका में सुधार होता है।

निष्कर्ष

ग्रामीण शासन का डिजिटल रूपांतरण स्थानीय संस्थाओं के कार्य करने के तरीके को लगातार बदल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और पहुँच को बेहतर बना रहे हैं। इस व्यापक परिवर्तन के अंतर्गत, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) का कम्प्यूटरीकरण सहकारी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में उभर कर सामने आया है।

मैनुअल अभिलेख प्रबंधन की जगह एकीकृत डिजिटल प्रणालियों को अपनाकर यह पहल वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करती है, सेवा वितरण में सुधार लाती है और ग्रामीण ऋण संस्थाओं में पारदर्शिता को बढ़ाती है। इससे *'पैक्स'* किसानों को अधिक दक्ष और विश्वसनीय सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम होती हैं तथा वित्तीय संस्थाओं के रूप में उनकी भूमिका और मजबूत होती है।

समग्र स्तर पर, *'पैक्स'* का कंप्यूटरीकरण समावेशी एवं तकनीक-संचालित ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करते हुए *डिजिटल इंडिया* के विज़न को सशक्त रूप से आगे बढ़ाता है। ❑

प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

अपील

प्रकाशन विभाग द्वारा देशव्यापी अभिलेखीकरण एवं डिजिटलीकरण पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य 1941 से 1990 के बीच प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित दुर्लभ एवं ऐतिहासिक महत्व की पुस्तकों का संरक्षण करना है। इन पुस्तकों में से कई अब अप्राप्य, दुर्लभ या मुद्रण से बाहर हो चुकी हैं। इन्हें अभिलेखीय उद्देश्य से खोजने एवं संकलित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आपके पास प्रकाशन विभाग की 1990 से पूर्व प्रकाशित कोई भी पुस्तक उपलब्ध हो, तो कृपया उस पुस्तक के मुखपृष्ठ (Cover Page) एवं इम्प्रिंट पृष्ठ (Imprint Page) की छवि, साथ में विवरण (जैसे प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या, विषयवस्तु आदि) साझा करें। आप यह जानकारी निम्न ईमेल पर भेज सकते हैं: bm-dpd@gov.in

व्यवसाय प्रबंधक
प्रकाशन विभाग